रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 1972/माघ 16, 1893

No. 76] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1972/MAGHA 16, 1893

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY NOV 1972 GOVT. OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February 1972

S.O. 107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its Notification No. 429/DL/70, dated the 30th November, 1970, namely:—

In column 3 of the Table appended to the said notification, against item '7—Karol Bagh (SC)' and after the existing entry '4', the entry "5. Shri S. K. Batra, Assistant Commissioner of Sales Tax, Delhi" shall be added.

[No. 429/DL/71.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1972

एस० ओ० 107(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 429/दिल्ली/70, तारीख 30 नवम्बर, 1970 में, आगे और निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में,

मद "7—करोल बाग (अ० जा०)" के सामने तथा विद्यमान प्रविष्टि संख्या

"4" के बाद "5—श्री एस० के० बतरा, सहायक विक्रय कर आयुक्त, दिल्ली" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

[सं० 429/दिल्ली/71]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972